



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 433 राँची, गुरुवार,

10 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

17 जुलाई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-36/2018-6928 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री राजीव कुमार मिश्रा, झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ के विरुद्ध मनरेगा अन्तर्गत बांडु पंचायत में शहरपुर से चेकडैम नाला तक ग्रेड-1 पथ निर्माण योजना में अनियमितता बरतने, मनरेगा प्रावधानों के विपरीत योजना में विभागीय अभिकर्त्ता की नियुक्ति करने, मृत मजदूरों के नाम पर मजदूरी का भुगतान करने, फर्जी मस्टर रॉल का निर्माण करने एवं फर्जी विपत्र के आधार पर कुल 51,360/- रु० का भुगतान करने संबंधी आरोप, जैसा कि प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-84/मनरेगा, दिनांक 19.02.2018 द्वारा संलग्न प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री मिश्रा के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री मिश्रा को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री मिश्रा द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पाकुड़ को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAJEEV KUMAR MISHRA JHK/JAS/198	श्री राजीव कुमार मिश्रा, झा0प्र0से0 (चतुर्थ 'सीमित' बैच, गृह जिला-दुमका), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गिकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
